an>

Title: Need to resolve the issue of transfer of state civil and police service officers from Uttar Pradesh to Uttarakhand.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वÂान 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर उत्तराखण्ड राज्य का सृजन हुआ। नवीन राज्य के गठन के कारण दोनों ही राज्यों में सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा के अधिकारियों का आवंटन हुआ। इनमें से उत्तर प्रदेश से सिविल सेवा के 05 तथा पुलिस सेवा के 02, कुल 07 अधिकारियों ने इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में ही सेवा करते चले आ रहे हैं। दिनांक 12 फरवरी, 2015 को माननीय न्यायालय द्वारा इन अधिकारियों की याचिकाएं खारिज कर दी गई, जिस पर भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इन्हें उत्तराखण्ड भेजे जाने के आदेश जारी कर दिए। इस संबंध में भारत सरकार के समन्वय विभाग के स्तर पर दोनों राज्यों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दोनों ही राज्य सरकारों ने इन अधिकारियों को वर्तमान नियुक्ति स्थल पर ही समायोजित करने की संस्तुति की तथा अवगत कराया कि ऐसा न करने पर इन अधिकारियों की सेवा सम्बन्धी अनेक विसंगतियां उत्पन्न होंगी तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण न्यायालयों में लम्बित होंगे। इन्हें अपने से अनेक वÂान कनिÂठ अधिकारियों के अधीन रहकर कार्य करना होगा जिसका असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी पड़ेगा। विगत में उत्तर प्रदेश से सचिवालय सेवा के अधिकारियों को उत्तराखण्ड हेतु कार्यमुक्त किया गया था किन्तु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उन्हें अपने यहां लेने से इंकार कर दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश को उन्हें फिर अपने यहां वापस लेना पड़ा। किन्तु दोनों राज्य सरकारों के लगातार अनुरोध के बावजूद भी भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ऐसा करने से मना कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के इस निर्णय के कारण वÂान 2014 की रिक्तियों हेतु राज्य सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को निर्देशित किया जाए कि वह संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही प्रेÂिात सूची पर प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु पत्र जारी कर काडर संबंधी बंटवारे का निर्धारण प्रोन्नतियों के बाद किये जाने पर विचार करने का कÂट करें।